संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्त्तव्य

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यवरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिये लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना नागरिकों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना का अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करने और उससे संबंधित आनुशंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए भारतीय संविधान के अनुरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया है। इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के संगठनात्मक स्वरूप, विशेषतायें और कर्तव्य की संरचना निम्नवत् है:–

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना दिनांक 09–11–2000 को की गयी, जिसमें राज्य के विभिन्न कार्यकारी व्यवस्थाओं के अधीन उत्तराखण्ड शासन के औद्योगिक विकास विभाग के अधीन उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देहरादून में स्थापित हुआ के सृजन का निर्णय दिनांक 17 अगस्त 2002 को लिया गया ।

बोर्ड की स्थापना :– पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखण्ड में भी उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना शासनादेश संख्या 3387/2002–133 – उद्योग/2001, देहरादून दिनांक 17 अगस्त, 2002 के अन्तर्गत की गयी है। उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के शीर्ष पर मा0 मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग को ही अध्यक्ष नामित किये जाने का प्रविधान एक्ट में किया गया है। बोर्ड में 6 सरकारी व 7 गैरसरकारी सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। बोर्ड की स्थापना का मूल उद्देश्य सरकार व जनता के बीच सामंजस्य बनाते हुये बोर्ड की योजनाओं को लागू करना है। उत्तराखण्ड राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग के सेक्टर से सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन कर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्र का आर्थिक विकास करने हेतु बोर्ड का गठन किया गया है। उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्तव्य में मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र की जनता में आत्म निर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वराज्य की भावना पैदा करते हुये स्थानीय उद्यमों का विकास कर नई तकनीकी से अवगत कराना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार प्रदान करने के साथ सामुदायिक विकास की भावना जागृत हो सके तथा साथ ही उत्पादित खादी एवं ग्रामोद्योगी वस्तुओं की बिक्री हेतु प्रयास कर ग्रामीण क्षेत्र के कतकर, बुनकर, कारीगरों एवं उद्यमियों को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाया जा सके।

कृत्य और कर्तव्यः– बोर्ड स्तर पर कर्तव्य का बोध सुनिश्चित करने के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी को बोर्ड का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी घोषित किया गया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त नियंत्रक के अतिरिक्त अन्य सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया बोर्ड के अधीन सेवा विनियमावली (समूह ''ग'' लिपिक संवगीय अधिनस्थ सेवा संवर्ग की विनियमावली शासन में विचाराधीन एवं समूह क एवं ख की विनियमावली शासन स्तर से अनुमोदनोपरान्त् प्रख्यापित की गयी है) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार चयन प्रक्रिया पूरी किया जाना आवश्यक है। राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों की भांति उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी आचरण नियमावली एवं सामान्य सेवा संबंधी नियम, प्रक्रियायें एवं निर्देश जो समय–समय पर कार्मिक एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत किये जाते है, लागू है ।

बोर्ड में सृजित पदों के सापेक्ष वेतनमान अथवा पदधारक के अनुरूप अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारियों को एक से अधिक पदभार दिये जाने अथवा कुछ पदों को रिक्त रखने या उसके सापेक्ष कम वेतनमान के अधिकारी नियुक्त किये जाने की प्रक्रिया वर्तमान में अपरिहार्य कारणों से विद्यमान है। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के प्रस्तर 12 (डी) के नीचे अंकित टिप्पणी में यह प्राविधान है कि विभागाध्यक्ष यदि चाहे तो अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालयाध्यक्ष

घोषित कर सकता है, ताकि वित्तीय नियमों में कार्यालयाध्यक्ष को प्रदत्त सभी कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में नियुक्त अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व संबंधित सेवा नियमावली तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के अध्याय 18 ए के साथ–साथ समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं । बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियो द्वारा बोर्ड की मासिक प्रगति से मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रति माह अवगत कराया जाता है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा इस प्रकार समस्त सूचना की समीक्षा कर शासन को अवगत कराया जाता है।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीनस्थ सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेशन प्रपत्र क्षेत्रीय कार्यालय से पूर्ण कर बोर्ड मुख्यालय भेजे जाते है तथा बोर्ड मुख्यालय पर पेंशन प्रपत्रो के जॉचोपरान्त्, स्वीकृत एवं भुगतान की कार्यवाही ई–पेंशन के माध्यम से निदेशक पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड को भेजे जाते है। स्वीकृति की कार्यवाही निदेशक पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड द्वारा की जाती है तथा भुगतान कोषागारो के माध्यम से सीधे सेवा निवृत कार्मिक को किया जाता है।

शासनादेश संख्या 466/औ0वि0/03–132–उद्योग/2003 दिनांक 17 अक्टूबर 2003 से उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्मिको के सामान्य भविष्य निधि के रूप में काटी गई धनराशि को जमा/आहरण हेतु राजकीय कोषागार में खाता खोले जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके अनुरूप सभी कार्मिको जी0पी0एफ0 कटौती की धनराशि राजकीय कोषागार में जमा/आहारित की जाती है तथा वर्ष 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों को नई अंशदान पेंशन योजना से जोड़ा गया है। बोर्ड के कार्मिको के सामूहिक बीमा योजना में की गई कटौती भारतीय जीवन बीमा निगम देहरादून में जी0एस0एल0आई0 स्कीम संख्या 101864 के अर्न्तगत जमा किये जाने का प्रविधान है। दिनांक 31–03–2014 के बाद नियुक्त कार्मिकों को जी0एस0एल0आई0 स्कीम के स्थान पर जी0आई0एन0पी0 स्कीम से जोड़ा गया है। कार्मिको के कटौती की धनराशि बोर्ड मुख्यालय के माध्यम से जमा की जाती है।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों के सेवा निवृत्त अथवा मृत्यु होने की स्थिति में सामूहिक बीमा संबंधी दावा कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार/बीमा निगम में प्रस्तुत किये जाते हैं। उक्त के अनुसार कार्मिको का भुगतान की कार्यवाही बोर्ड मुख्यालय को सम्बन्धित विभाग से प्राप्त होने पर सीधे की जाती हैं। उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में दावें (claim) का समयबद्ध निस्तारण तभी सम्भव है, जब सम्बन्धित व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अधीन मुख्यालय अथवा उसके अधीनस्थ कार्यालय को समय से दावा प्रस्तुत करेगे। उत्तराखण्ड पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतिकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 2003 में स्पष्ट प्राविधान किया गया है कि किस प्रकार समय से सेवा पुस्तिका एवं अन्य अभिलेख पूरा किये जाएं। यह भी अपेक्षा की गयी है कि सेवा निवृत्त के 6 माह पूर्व पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण कार्यालयध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किये जायेगे। तथा किसी कर्मचारी के मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन के अभिलेख एक माह में पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को भेजे जायेगे। इस प्रकार प्राप्त पेंशन अभिलेखों का परीक्षण बोर्ड कार्यालय द्वारा दो माह के अन्दर पूरा करना चाहिए,। इस अवधि में यदि पेंशन अभिलेख में कोई आपत्ति हो तब उसे बोर्ड मुख्यालय द्वारा संबंधित कार्यालय को भेजा जाना चाहिए ताकि आपत्ति का निराकरण एक माह के अन्दर कर दिया जाए। इस प्रकार प्रकिया पालन बोर्ड के सभी पेंशन प्रकरण पर किया जा रहा हैं।

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अर्न्तगत दो योजनाऐ संचालित की जा रही है जिन में से एक भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना (मार्जिन मनी आर्थिक अनुदान) तथा दूसरी राज्य सरकार की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की ऋण योजना है। उक्त योजनाओं का संचालन निम्नवत होता है :–

1–प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार की योजना है। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेरोजगार युवक/युवतियों तथा विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को स्वरोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने तथा विभिन्न वर्गों एवं क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है।

योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवक/युवतियों को स्वरोजगार स्थापना हेतु सेवा क्षेत्र हेतु धनराशि रू0 20.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र में धनराशि रू0 50.00 लाख तक का ऋण विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता हैं ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य श्रेणी के लाभार्थीयों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान का प्राविधान है। विशेष श्रेणियों के लिये मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत किये जाने का प्राविधान है। लाभार्थी का स्वयं का अंशदान सामान्य श्रेणी–10 प्रतिशत एवं विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिये 05 प्रतिशत।

आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज –

1. पासपोर्ट फोटो।
2. आधार कार्ड।
3. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
4. विशेष श्रेणी प्रमाण पत्र, जहां भी आवश्यक हो।
5. ग्रामीण क्षेत्र प्रमाण पत्र।
6. रोजगार संख्या के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)।
7. शिक्षा/ई0डी0पी0/कौशल विकाश प्रशिक्षण प्रमाण पत्र।
8. कोई अन्य लागू दस्तावेज।

लाभ प्राप्त करने की प्रक्रियाः– लाभार्थियों का चयन ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित एजेन्सी द्वारा स्कोरिंग पद्वति के आधार पर किया जाता है, तत्पश्चात् श्रण आवेदन पत्रों को सम्बन्धित वित्तिय बैंकों को स्वीकृत/वितरित हेतु प्रेषित किया जाता है, वित्तीय बैंकों द्वारा उद्यमी के ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृत/वितरित करने के पश्चात् उद्यमी की मार्जिन मनी की उपयुक्त राशि को वित्तीय बैंक शाखा में उद्यमी के नाम एफ0डी0 रखी जाती है। तत्पश्चात् इकाई के भौतिक सत्यापन उपरान्त् उद्यमी के खाते में समायोजित कर दी जाती है।

योजना की विशेषताऐंः–योजना की गाइड लाईन के अनुसार मांस/नशीली सामग्री/बागवानी/पशुपालन/खादी/पौली वस्त्र/पर्यावरण को नुकसान पहुॅचाने वाली परियोजनाओं को छोडकर अन्य किसी परियोजना को तैयार करके लाभार्थी अपना स्वरोजगार स्थापित कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

योजना अन्तर्गत वित्त पोषणः– बैंक वित्त के माध्यम से।

लाभार्थी का स्वयं का अंशदानः– विशेष श्रेणी–05 प्रतिशत, सामान्य श्रेणी–10 प्रतिशत।

पात्रताः– 1. 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्ति।

2. आयु की कोई उच्चतम् सीमा नहीं है।

3. रू0 5.00 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिये कोई शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है।

4. विनिर्माण क्षेत्र की रू0 10.00 लाख से अधिक लागत तथा सेवा क्षेत्र में रू0 5.00 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिये आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाः–

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऐसे उद्यमशील युवा उद्यमी, जो राज्य के मूल अथवा स्थाई निवासियों और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, को स्वरोजगार के लिये प्रेरित करने एवं स्वयं के उद्यम, सेवा एवं व्यवसाय को प्रारम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिये अधिकतम् रू0 25.00 लाख तथा सेवा व व्यवसाय क्षेत्र के लिये अधिकतम लागत रू0 10.00 लाख तक है।

कार्ययोजनाः–

ऐसे उद्यमशील युवाओं/युवतियों, उत्तखण्ड के ऐसे प्रवासियों, जो कोविड–19 के कारण उत्तराखण्ड राज्य में वापस आये हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने, उन्हें आवश्यक मार्ग दर्शन देने, विभिन्न स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना से सम्बन्धित सभी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने तथा संचालित योजनान्तर्गत लाभान्वित कराये जाने की विशेष व्यवस्था जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से की जायेगी।

पात्रता :–

1. आवेदन की आयू आवेदन के समय कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये।
2. शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
3. योजनान्तर्गत उद्योग सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध होगी।
4. आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तिय संस्था/सहकारी बैंक या संस्था इत्यादि का चूककर्ता नहीं होना चाहिये।
5. आवेदन द्वारा विगत 5 वर्ष के भीतर भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो, किन्तु यदि किसी आवेदक द्वारा 5 वर्ष पूर्व भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना में लाभ प्राप्त किया गया और वह चूककर्ता नहीं है, तो वह अपने उद्यम के विस्तार के लिये योजनान्तर्गत वित्त पोषण प्राप्त कर सकता है।
6. आवेदन अथवा उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जायेगा।
7. आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
8. विशेष श्रेणी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी विशेष श्रेणी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. लाभार्थियों का चयन अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रोजेक्ट व्यवहार्यता देखते हुये ''पहले आयें पहले पायें'' के आधार पर किया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज – योजना अन्तर्गत निम्न दस्तावेज का विवरणः –

1. मूल निवास प्रमाण पत्र।
2. पासपोर्ट साइज फोटो।
3. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
4. आधार कार्ड कॉपी
5. शपथ पत्र।
6. शिक्षा का प्रमाण पत्र।
7. बैंक डिटेल कॉपी।

8. जाति प्रमाण पत्र।
9. दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
10. राशन कार्ड की कापी।

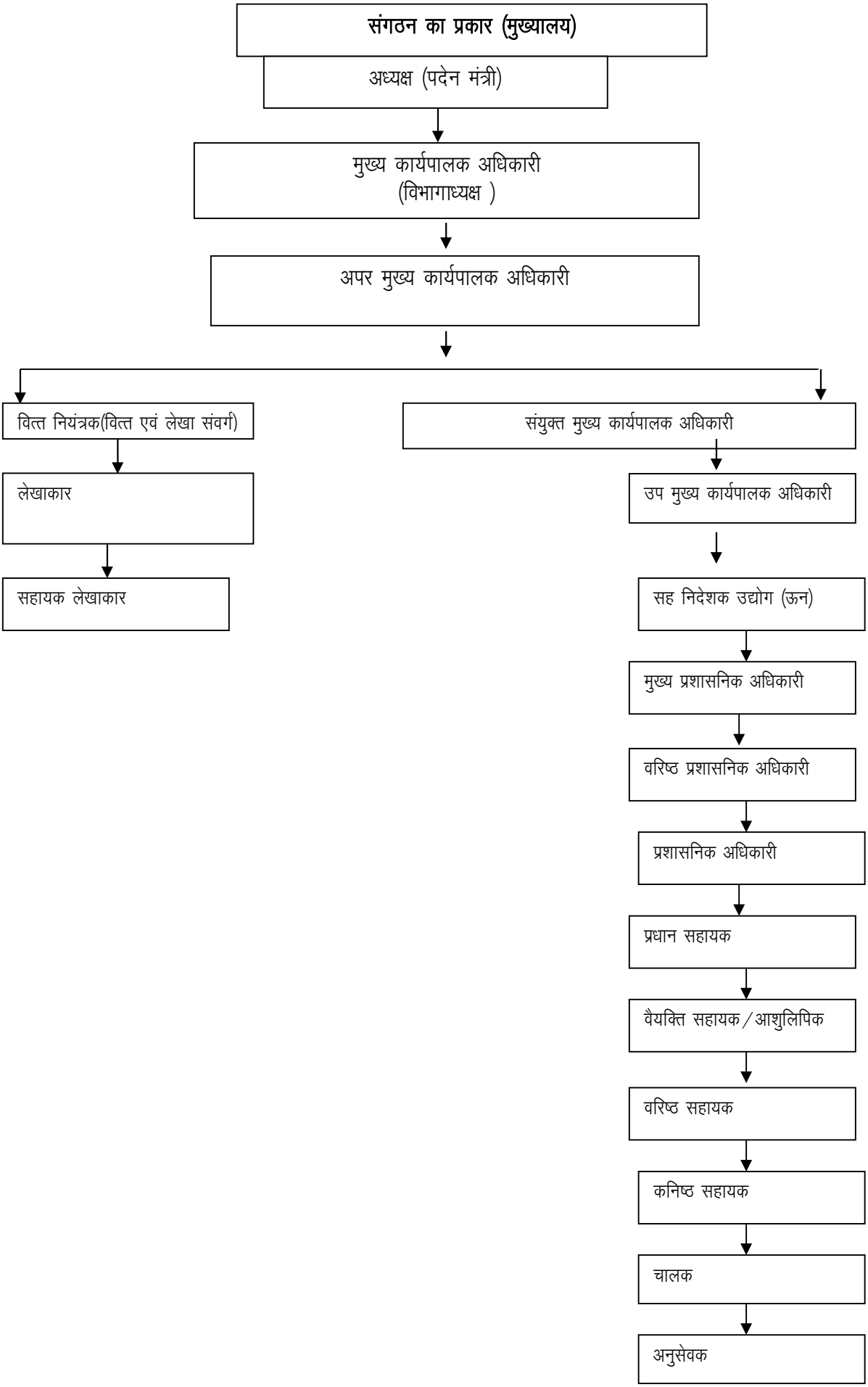
जनपदवार अधिकारियों का विवरण एवं सम्पर्क निम्नानुसार है –

क्र0	जनपद का नाम	कार्यालय दूरभाष संख्या
1	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय कालाढूँगी नैनीताल	05946–280247
2	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पौडी गढ़वाल	01368–222281
3	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पिथौरागढ़	05964–224170
4	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय नई टिहरी	01376–233092
5	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय देहरादून	0135–2532734
6	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय चम्पावत	05965–230898
7	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय अल्मोड़ा	05962–232306
8	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय उत्तरकाशी	01374–222401
9	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय उधमसिह नगर	05944–250262
10	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रूद्रप्रयाग	01364–233097
11	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय चमोली	01372–252286
12	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय हरिद्वार	01334–239346
13	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय बागेश्वर	05963–221454

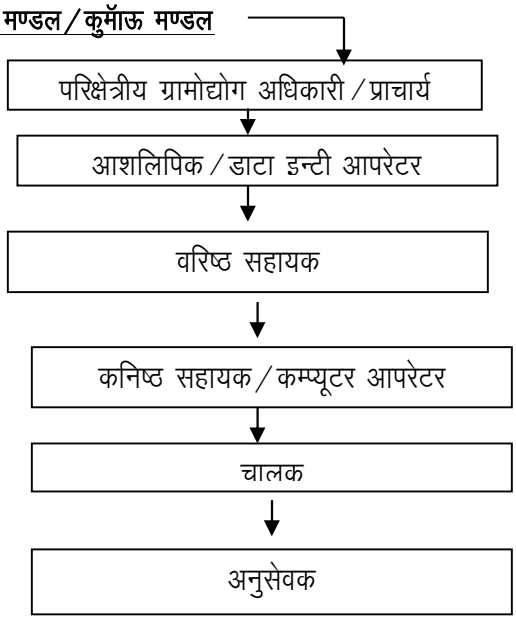
ऊन बैंक की स्थापना

उत्तराखण्ड में भेड पालन सीमान्त पर्वतीय जनपदों में एक अच्छा व्यवसाय है। उनके द्वारा उत्पादित ऊन के विपणन की व्यवसाय को उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के गठन के पूर्व नियोजित नही थी, जिससे भेड पालकों को उचित मूल्य नही मिल पाता था। उक्त को दृष्टिगत उत्तराखण्ड खादी बोर्ड द्वारा ऊन बैंक की स्थापना की गई है। योजना अन्तर्गत पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्थानीय भेड़पालकों की ऊन को विभागीय ऊन क्रय समिति के माध्यम से क्रय किया जाता है।

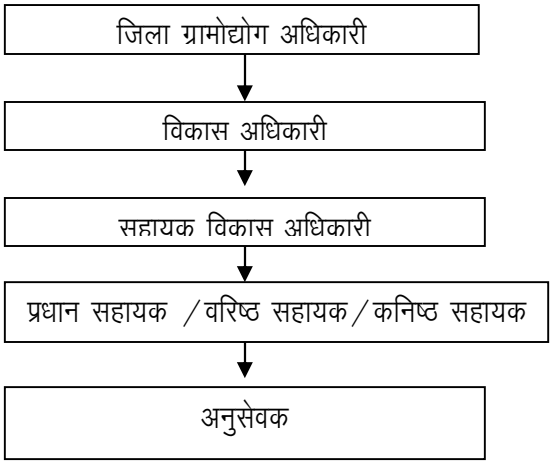
खादी वस्त्रों की ब्रिकी पर छूट :– खादी वस्त्रों की बिक्री पर 108 कार्यकारी दिवसों हेतु प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत व भारत सरकार द्वारा खादी वस्त्रों के उत्पादन पर 20 प्रतिशत एम0डी0ए0 में माध्यम से छूट प्रदान की जा रही है। योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा छूट दिये जाने हेतु शासनादेश शासन से किये जाने का दायित्व मुख्यालय का है। रिवेट दावों का क्लेम सम्बन्धित संस्था द्वारा जिलें स्तर पर किया जाता है। जिले द्वारा रिवेट बिलों का परीक्षण एवं जॉचोपरान्त भुगतान पारित करते हुये मुख्यालय को भेजा जाता है। मुख्यालय द्वारा जिलें की जॉच के उपरान्त शासन से प्राप्त बजट के अनुसार भुगतान की कार्यवाही सम्बन्धित संस्था को सीधे की जाती है।


संगठन का प्रकार (मुख्यालय)
अध्यक्ष (पदेन मंत्री)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(विभागाध्यक्ष)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
वित्त नियंत्रक(वित्त एवं लेखा संवर्ग)
लेखाकार
सहायक लेखाकार
संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी
उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सह निदेशक उद्योग (ऊन)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी
प्रधान सहायक
वैयक्ति सहायक/आशुलिपिक
वरिष्ठ सहायक
कनिष्ठ सहायक
चालक
अनुसेवक

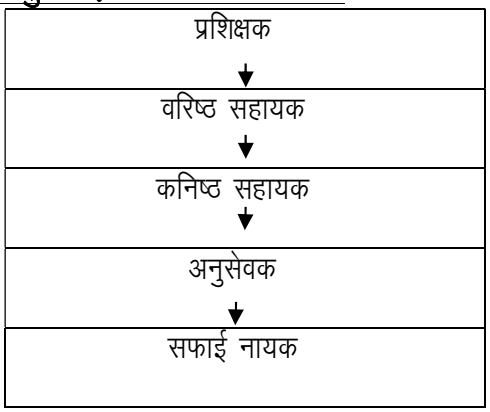
परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी गढ़वाल मण्डल/कुमॉऊ मण्डल



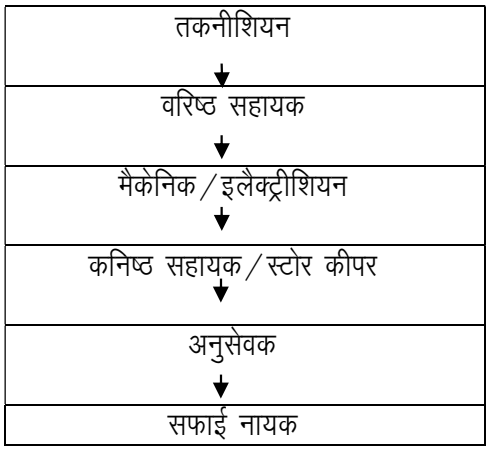
जनपद ग्रामोद्योग



प्रशिक्षण केन्द्र, कालाढुँगी एवं कण्डोलिया पौडी

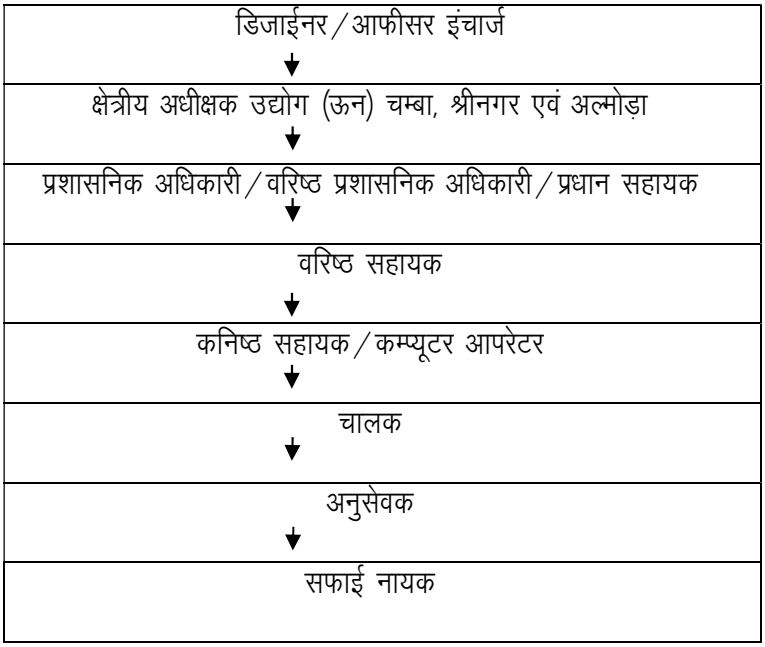


लोक वस्त्र इकाई जसपुर

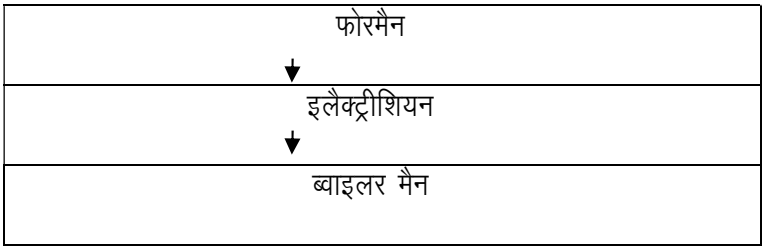


क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन)

क–कार्यालय (चम्बा/श्रीनगर /अल्मोड़ा



ख–फिनिशिंग प्लांट



ग– कार्डिंग प्लान्ट

फिटर कम इलैक्ट्रीशियन
↓

घ– बिक्री भण्डार

बिक्री कर्ता
↓
बिक्री सहायक

ड. उत्पादन केन्द्र

अधीक्षक उत्पादन
↓
सहायक अधीक्षक उत्पादन
↓
बुनाई शिक्षक
↓
रंगाई शिक्षक
↓
कताई पर्यवेक्षक
↓
कताई शिक्षक
↓
अनुसेवक

उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण

संवर्ग का नाम	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स/ लेवल	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कुल भरे पदों की संख्या	कुल रिक्त पदों की संख्या
प्रशासकीय संवर्ग	मुख्य कार्यपालक अधिकारी	पदेन शासन स्तर से	01	01	0
	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	पदेन शासन स्तर से	01	0	01
	संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी	78800-209200 (लेवल–12)	01	01	0
	उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी	67700-208700 (लेवल–11)	02	0	02
		योग	**05**	**02**	**03**
लेखा संवर्ग	वित्त नियंत्रक	वित्त एवं लेखा संवर्ग से	01	01	0
	लेखाकार	35400-112400 (लेवल–06)	01	01	0
	सहायक लेखाकार	29200-92300 (लेवल–05)	02	0	02
		योग	**04**	**02**	**02**
ग्रामोद्योग / विकास संवर्ग	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	56100-177500 (लेवल–10)	13	02	11
	विकास अधिकारी	35400-112400 (लेवल–06)	13	03	10
	सहायक विकास अधिकारी	29200-92300 (लेवल–05)	13	04	09
		योग	**39**	**09**	**30**
तकनीकी संवर्ग	सह निदेशक उद्योग (ऊन)	56100-177500 (लेवल–10)	01	01	0
	डिजायनर/आफिसर इंचार्ज लैब	47600-151100 (लेवल–08)	01	0	01
	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन)	44900-142400 (लेवल–07)	03	01	02
	तकनीशियन	44900-142400 (लेवल–07)	01	0	01
	प्रशिक्षक	35400-112400 (लेवल–06)	04	0	04

	अधीक्षक उत्पादन	35400-112400 (लेवल–06)	08	02	06
	सहायक अधीक्षक उत्पादन	29200-92300 (लेवल–05)	07	0	07
	फौरमैन	29200-92300 (लेवल–05)	02	0	02
	मैकेनिकल इलैक्ट्रीशियन	21700-69100 (लेवल–03)	03	01	02
	बुनाई शिक्षक	21700-69100 (लेवल–03)	10	0	10
	रंगाई शिक्षक	21700-69100 (लेवल–03)	03	0	03
	कताई पर्यवेक्षक	18000-56900 (लेवल–01)	07	01	06
	कताई शिक्षक	18000-56900 (लेवल–01)	13	04	09
	ब्यायलर मैन	18000-56900 (लेवल–01)	2	0	2
	फिटर/इलैक्ट्रीशियन	18000-56900 (लेवल–01)	3	0	3
		योग	**68**	**10**	**58**
मिनिस्ट्रीयल संवर्ग	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	56100-177500 (लेवल–10)	03	01	02
	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	47600-151100 (लेवल–08)	04	03	01
	प्रशासनिक अधिकारी	44900-142400 (लेवल–07)	04	04	0
	प्रधान सहायक	35400-112400 (लेवल–06)	10	03	07
	वरिष्ठ सहायक	29200-92300 (लेवल–05)	15	08	07
	कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर	21700-69100 (लेवल–03)	17	10	07
		योग	**53**	**29**	**24**

आशुलिपिक संवर्ग	वैयक्तिक सहायक	35400-112400 (लेवल–06)	01	0	01
	आशुलिपिक ग्रेड–1 डाटा इन्ट्री आपरेटर	35400-112400 (लेवल–06)	03	0	03
	आशुलिपिक ग्रेड–II डाटा इन्ट्री आपरेटर	25500-81100 (लेवल–04)	01	1	0
		योग	**05**	**01**	**04**
विपणन संवर्ग	बिक्री कर्ता	19900-63300 (लेवल–02)	10	04	06
	बिक्री सहायक	18000-56900 (लेवल–01)	10	06	04
		योग	**20**	**10**	**10**
चालक संवर्ग	वाहन चालक	21700-69100 (लेवल–03)	10	08	02
		योग	**10**	**08**	**02**
चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	अनुसेवक	18000-56900 (लेवल–01)	40	11	29
		योग	**40**	**11**	**29**
		महायोग	**244**	**82**	**162**

- उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में सीधी भर्ती/पदोन्नति के कुल 244 पद शासन स्तर से स्वीकृत किये गये है। स्वीकृत पदो के सापेक्ष 82 अधिकारी/कर्मचारी नियमित कार्यरत है तथा 162 पद पदोन्नति/ सीधी भर्ती के रिक्त है। तकनीकी संवर्ग /चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में रिक्त पदो के सापेक्ष उपनल/पी0आर0डी0 से कुल 29 कार्मिक आउटसोर्स पर लिये गये है।
- उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अन्तर्गत ही उत्तराखण्ड खादी बोर्ड में सीधी भर्ती के रिक्त पदो के भरे जाने वाले पदो पर रोस्टर प्रणाली लागू है तथा निर्धारित मानक अनु0जाति के लिये 19 प्रतिशत अनु0जनजाति के लिये 04 प्रतिशत पिछडी जाति के लिये 14 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग में भी आरक्षण के अनुसार मानक लागू है।